[illegible] 30/8/18

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर, जिला बीकानेर

सरकार .... बनाम श्री आसाराम s/o धुधाराम जाट
सा. अजीतमाना

किस्म मुकदमा — ~~आर.सी.ए. 1954 की धारा 22~~
~~एल. आर. एक्ट 1956 की धारा 91~~ 91

मुकदमा नम्बर 08/18 वर्ष 2018 फसल खरीफ

आदेश दिनांक	कार्यवाही विवरण	आदेश की तालीम
26/7/18	पटवारी हल्का अजीतमाना की रिपोर्ट पर पत्रावली गुरतीब की गई। मुताबिक रिपोर्ट अप्रार्थी ने ग्राम/~~चक~~ खरमाली के खसरा नं./मु.नं.मै. 108 तादादी 0.25 हेक्टेयर बीघा राजकीय भूमि पर सम्वत 2075 में ना:जायज कब्जा कर काश्त कर ली। अप्रार्थी को धारा ~~22~~/91 के तहत नोटिस जारी किया जावे एवं भू–अभिलेख निरीक्षक को फसल कुर्क करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली आईन्दा दिनांक 07/8/18 को पेश हो। तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर	रो. प्र. गोयल
7/8/18	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी गैर हाजिर अनुपस्थित। अप्रार्थी पटवारी से अतिक्रमण हटाने या नहीं हटाने बाबत रिपोर्ट ली जावे। पत्रावली आईन्दा दिनांक 30.8.18 को पेश होवे।	खा रजिस्टर के पेज न० 127 के क्र.स. 08 पर मांग कायम की गयी। [illegible] TRA [illegible]/3/19
30/8/18	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी पटवारी अजीतमाना की रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट द्वारा अतिक्रमी को [illegible] राजकीय भूमि पर किया गया अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अतः रिपोर्ट –	P.T.O.

Scanned by CamScanner

30/8/18 [illegible]! [illegible].
[illegible]

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व)लूनकरनसर

प्रकरण संख्याः 08 /2018 दिनांकः 30/8/2018.

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का अजीतमाना ने रिपोर्ट (पी-34) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्वत 2075 फसल खरीफ में गैर सायल आसाराम ....पुत्र कुंभाराम जाति जाट साकिन अजीतमाना ....ने ग्राम धरनाली के खसरा नं0 108 रकबा 0.25 हेक्टेयर जोहड़ पायतन, गोचुर, चारागाह राजकिय भूमि में काश्त/बाड़ा/कच्चा/पक्का मकान निमार्ण कर नाजायज अतिक्रमण किया है।

सम्बधिंत गैर सायल का रा.भू.रा.अधि. 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल शामिल मिसल किया गया। संबधिंत गैरसायल अनुउपस्थित होने के कारण उक्त प्रकरण में इकतरफा कार्यवाही करते हुए सम्बधित गैर सायल आसाराम पुत्र श्री कुंभाराम जाति जाट साकिन अजीतमाना ग्राम धरनाली खसरा नं0 108 रकबा 0.25 हेक्टेयर के अतिचार करने पर राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधान के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है तथा मौके से काश्त फसल को नष्ट करने व अतिकमिंत भुमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। बेदखली व काश्त फसल को नष्ट करने तथा भुराजस्व का 50 गुणा 13/- रूपये शास्ति से दंडित किया जाता है। इस बाबत संबधिंत गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा तलवान वसुली बाबत पटवारी हल्का को तथा मांग कायमी बाबत टीआरए शाखा को लिखा जाये।

निर्णय आज दिनांक 30/8/2018. को खुली अदालत में लिखाया जाकर सुनाया गया।

तहसीलदार(राजस्व)
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner